"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 मार्च 2018 — फाल्गुन 14, शक 1939

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2018

आदेश

क्रमांक एफ. 1-2/2015/रास/यू. 19. — दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के प्रथम कुलपति डॉ. नरेन्द्र प्रसाद दीक्षित की आयु दिनांक 05-03-2018 को 70 पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 (6) में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत माननीय कुलाधिपति, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा डॉ. ओ. पी. गुप्ता, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के कुलपति का अस्थायी प्रभार सौंपा गया है.

हस्ता./-

(सैयद कौसर अली)
राज्यपाल के अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.